राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प.16(11)एमई / ग्रुप.1 / 2010 जयपुर, दिनांक : 02 APR 2012

–: परिपत्र :–

मंत्रिमण्डल आज्ञा संख्या 68 / 2011 दिनांक 12.05.2011 द्वारा राज्य के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षक चिकित्सकों को राष्ट्रीय कॉन्फ्रेन्स में एक वर्ष में एक बार तथा अन्तर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेन्स में दो वर्ष में एक बार भाग लिये जाने हेतु अनुमति देने का प्रावधान किया गया है।

मंत्रिमण्डल आज्ञा संख्या 68 / 2011 दिनांक 12.05.2011 की पालना में राज्य के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षक चिकित्सकों को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेस में भाग लेने हेतु अनुमति दिये जाने के क्रम में निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किए जाते है:–

1. राज्य के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षक राष्ट्रीय कॉन्फ्रेस में एक वर्ष में एक बार एवं अन्तर्राष्ट्रीय कान्फ्रेस में दो वर्ष में एक बार भाग ले सकेंगें।

2. कलेण्डर वर्ष की प्रथम तिथि को 58 वर्ष की आयु से कम आयु के चिकित्सक शिक्षक ही कॉन्फ्रेस / सम्मेलन में भाग ले सकेंगे।

3. कॉन्फ्रेस का राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय स्तर प्रशासनिक विभाग द्वारा निर्धारित किया जावेगा। इस हेतु प्रस्ताव विभागाध्यक्ष द्वारा प्रधानाचार्य, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय की अनुशंषा के साथ प्रशासनिक विभाग को भिजवाये जायेंगे।

4. प्रशासनिक विभाग द्वारा संबंधित मेडिकल कॉलेज की अनुशंषा के आधार पर यह निर्णित किया जायेगा कि कॉन्फ्रेस चिकित्सक शिक्षक के लिए उपयोगी है।

5. ऐसे चिकित्सा शिक्षकों को ही पुनर्भरण की अनुमति दी जायेगी जिनके पेपर Conference के लिए Accept किए गये है।

6. चिकित्सक शिक्षक जो स्वयं के स्तर से कॉन्फ्रेस / सेमीनार में भाग लेंगे उनके लिये यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कॉन्फ्रेस / सेमीनार किसी वाणिज्यिक उद्देश्य से आयेजित नहीं की जा रही है। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई वित्तीय भार वहन नहीं किया जायेगा। ऐसे शिक्षकों को 15 दिन की विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किये जायेंगे जिसमें यात्रा अवधि भी शामिल होगी इसके निरन्तरता में कोई अन्य अवकाश देय नहीं होगा। चिकित्सक शिक्षक यह शपथ–पत्र देंगे कि They will not take any commercial activity. भारत से बाहर जाने पर शिक्षक को चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने का भार राज्य सरकार पर नहीं होगा, उन्हें स्वयं के स्तर से इसके लिए उचित व्यवस्था करनी होगी।

7. राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेस में भाग लेने हेतु सक्षम अनुमति एवं यात्रा भत्ता का निर्धारण निम्न प्रकार होगा :–

   I. The approval and reimbursement of the claim may be regulated as per provisions of Rajasthan TA Rules, 1971 in the case of conference/seminar held in India.

   II. The approval and reimbursement of the claims may be regulated as per FD circular dated 13.10.2006 in the case of international conference held abroad.

कॉन्फ्रेस/सेमीनार से संबंधित आकस्मिक व्यय तथा रजिस्ट्रेशन फीस भी देय होगी जो सीधे ही कॉन्फ्रेस आयोजनकर्ता को देय होगी या बिल के आधार पर पुनर्भरण योग्य होगी।

8. चिकित्सक शिक्षक को राज्य सरकार द्वारा कॉन्फ्रेस के लिए मनोनीत किये जाने पर कॉन्फ्रेस अवधि, राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7(8)(b) के अन्तर्गत कर्तव्य अवधि मानी जायेगी।

9. प्रधानाचार्य, चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा प्रशासनिक विभाग को अनुमति हेतु प्रस्ताव भिजवाते समय यह प्रमाणित किया जायेगा कि चिकित्सक शिक्षक को कॉन्फ्रेस की अनुमति दिये जाने से शिक्षण एवं अस्पताल कार्य प्रभावित नहीं होगा।

10. कॉन्फ्रेस हेतु अनुमति प्रकिया में रोटेशन पद्धति अपनाई जायेगी जो पारदर्शी, निष्पक्ष एवं स्पष्ट होगी।

11. कॉन्फ्रेस में भाग लेने के पश्चात् चिकित्सक शिक्षक द्वारा एक संक्षिप्त विवरण (रिपोर्ट) संबंधित प्रधानाचार्य, चिकित्सा महाविद्यालय एवं प्रशासनिक विभाग को प्रस्तुत की जायेगी।

12. कॉन्फ्रेस से लौटने के पश्चात् संबंधित चिकित्सक शिक्षक का विभाग द्वारा कॉन्फ्रेस से प्राप्त ज्ञान के आधान पर व्याख्यान दिलाना सुनिश्चित किया जायेगा।

यह परिपत्र वित्त (नियम) विभाग की आई. डी. संख्या 101200466 दिनांक 21.02.2012 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी किया जाता है।

आज्ञा से

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री/राज्यमंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव वित्त विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
7. विशेषाधिकारी, वित्त (नियम) विभाग।
8. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर।
9. प्रधानाचार्य, राजकीय दन्त महाविद्यालय, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

सहायक शासन सचिव